बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या :– 17–तक0 सर्वेक्षण मार्गदर्शन–28/2018...477...........

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, नालंदा,
शेखपुरा, मुंगेर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा,
किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया एवं अररिया।

पटना, दिनांक :– 20-03-2019

विषय :– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या– 165 (8)/रा0, पटना–15 दिनांक–15.03.2019 द्वारा तकनीकी मार्गदर्शिका अधिसूचित किए जाने के पश्चात विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा तकनीकी मार्गदर्शिका के आलोक में करने एवं उसके पश्चात की सभी कार्रवाई भी मार्गदर्शिका के आलोक में ही करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना द्वारा अधिसूचना संख्या– 165 (8)/रा0, पटना–15 दिनांक–15.03.2019 द्वारा तकनीकी मार्गदर्शिका अधिसूचित की गई है। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि आपके जिले में अब तक किए गए विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा तकनीकी मार्गदर्शिका के आधार पर कर ली जाए एवं इस बात की संपुष्टि कर ली जाए कि अब तक किया गया विशेष सर्वेक्षण का कार्य तकनीकी मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अनुकूल ही किया गया है। यदि विशेष सर्वेक्षण के किसी प्रक्रम में भिन्नता की स्थिति पाई जाती है तो उसकी समीक्षा कर उसमें यथा आवश्यक सुधार की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए एवं पश्चात की सभी कार्रवाईयाँ भी तकनीकी मार्गदर्शिका के प्रावधानों के आलोक में ही की जाए।

बंदोबस्त पदाधिकारी का विशेषकर दायित्त्व होगा कि अंतिम प्रकाशन से पूर्व भलीभांति संतुष्ट हो लेंगे की विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत की गयी अब तक की सभी कार्रवाईयाँ तकनीकी मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुकूल है।

विश्वासभाजन

20/3/19
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

D:\Sanjeev-2019\Birendra Kumar, Asst Director\File No.-19-03-2019.doc